आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या–सी0आर0एम0–34/13–14

खजांची प्रसाद

बनाम

सरकार

आदेश

07.04.2015

यह अपील वाद खजांची प्रसाद पिता–मंगल साह सा0–मधुबनी थाना–धनहा जिला–पश्चिम चम्पारण जनवितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी बगहा के आदेश ज्ञापांक 26, दिनांक 03.02.2014 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके तहत अपीलकर्ता के जनवितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या–01/07 को तत्कालिक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है।

अपील आवेदन पत्र के आलोक में अनुमंडल कार्यालय बगहा से अभिलेख की मांग की गयी। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विशेष जांच अभियान के क्रम में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बगहा–2 द्वारा दिनांक 03.12.2013 को 1.40 बजे अपराह्न में विक्रेता के दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्न प्रकार अनियमितता पायी गयी :–

1. विक्रेता दुकान पर उपस्थित पाये गये।
2. विक्रेता दुकान से सम्बद्ध बी0पी0एल0 उपभोक्ता श्री उमेश सिह पिता–रामचन्द्र सिंह कूपन संख्या–0136468, श्री महेन्द्र यादव पिता–स्व0 लखन यादव कूपन संख्या–0136555, श्री संजय सिंह, पिता–रामचन्द्र सिंह कूपन संख्या–0136219, श्री गंगा यादव पिता–सुखारी यादव कूपन संख्या–0137040, श्री मंजीत सिंह पिता–श्री हरिहर सिंह कूपन संख्या–0136225, मंगल यादव पिता–यमुना यादव कूपन संख्या–0136317 एवं श्री नरेश यादव पिता–नारायण यादव कूपन संख्या–0137019 द्वारा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	बयान दिया गया कि 24कि0ग्रा0 खाद्यान्न 160.00रूपयें प्राप्त कर खाद्यान्न आपूर्ति की जाती है, जो निर्धारित मात्रा से एक किलो कम एवं निर्धारित दर से 10 रूपयें अधिक राशि वसूल की जाती है। 3. विक्रेता दुकान से सम्बद्ध अन्त्योदय उपभोक्ता श्री जवाहिर साह पिता–श्री शिवनंदन साह कूपन संख्या–0037332 एवं मुस्मात गेलिया पिता–स्व0 श्यामदेव भुजिया कूपन संख्या–0475260 द्वारा बयान दिया गया कि 34कि0ग्रा0 खाद्यान्न 96.00रूपयें में आपूर्ति किया जाता है, जो निर्धारित मात्रा से 01कि0ग्रा0 कम एवं निर्धारित दर से 7.00रूपयें अधिक राशि वसूल की जाती है। यह मनमाने ढंग से दुकान का संचालन करने एवं अधिक राशि की वसूली किया जाना सरकारी निदेश एवं अनुज्ञप्ति की शर्तो का सरासर उल्लघंन है। उक्त अनियमितता के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 457/आ0, दिनांक 31.12.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। मांगे गये स्पष्टीकरण के क्रम में विक्रेता द्वारा निम्न प्रकार स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है :– 1. यह आरोप है कि वी0पी0एल0 उपभोक्ता को 24कि0ग्रा0 खाद्यान्न 160.00रूपयें में दिया जाता है एवं अन्त्योदय उपभोक्ता को 34कि0ग्रा0 खाद्यान्न 96.00 रूपयें में दिया जाता है, के संबंध में उनका कहना है कि वे अन्त्योदय उपभोक्ता को 35कि0ग्रा0 एवं वी0पी0एल0 उपभोक्ता को 25कि0ग्रा0 खाद्यान्न देते है। दो बार तौल करने पर स्वाभाविक रूप से एक किलो कम हो सकता है। अन्त्योदय का मूल्य 91.00 रूपयें एवं वी0पी0एल0 का मूल्य 154.00 रूपयें होता है। ऐसी परिस्थिति में खुदरा के अभाव में कुछ पैसा अधिक ले लिया जाता है, जो अगले माह में तेल या खाद्यान्न में मिनहा कर दिया जाता है। इन सभी उपभोक्ताओं	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	को सही जानकारी नही होने के कारण गलत बयान दिये है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। उपरोक्त विवेचित तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध संबंधित कागजातों के अवलोकन तथा गहन विवेचना से स्पष्ट होता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी का प्रतिवेदन/आदेश एवं बिक्रेता द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में कोई मेल नही हैं। अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश का मूल आधार 10--15 उपभोक्ताओं से लिया गया बयान है। यह बयान भी किसी एक व्यक्ति द्वारा हस्तलिखित है जिस पर उपभोक्ताओं के अंगूठे का निशान लिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेजीय गहन जांच कर अनियमितता के बिन्दु को स्पष्ट नही किया गया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, का आदेश एक ठोस जांच पर आधारित नही है। अतः जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी--सह--अनुज्ञापन पदाधिकारी, बगहा के आदेश दिनांक 03.02.2014 को विखंडित किया जाता है। वे इस आलोक में कार्रवाई करें तथा जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता की गतिविधि की अगले 02 माह में पुनः गहन जांच कराकर तद्नुसार प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई करें। लेखापित एवं संशोधित। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 07/5/15 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 07/5/15	